राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	नाथू बनाम रामसहाय हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस प्रार्थना पत्र रिव्यु पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र रिव्यु हेतु दिनांक 01/04/2026 को पेश हो |	
01/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र रिव्यु हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, खातेदारी, दुरुस्ती इन्द्राज, विभाजन होन्डिंग व स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी नाथू बनाम रामसहाय का प्रस्तुत कर प्रश्नगत भूमि वाके ग्राम कोटखावदा, तहसील कोटखावडा में स्थित है एवं उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति है | जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय व डिक्री दिनांक 05/03/2018 पारित करते हुये प्रार्थीगण का वाद डिक्री कर दिया गया, जिसके विरुद्ध रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष अपील संख्या 197/2018 उनवानी रामसहाय बनाम नाथू प्रस्तुत की गयी, जिस पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 29/01/2019 पारित करते हुये अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को सन्दर्भित विश्लेषणों को समायोजित करते हुये विस्तृत निर्णय पारित किये जाने के आदेश पारित किये गये | न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29/01/2019 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह रिव्यु प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस प्रार्थना पत्र रिव्यु पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया | प्रार्थी रिव्युकर्ता वारा दौराने बहस ऐसा कोई ठोस तर्क जाहिर नही किया है जिससे की रिव्युधीन आदेश में कोई एरर अपीरेन्ट ऑन फेस ऑफ़ रिकार्ड जाहिर होता हो | विधि के अनुसार भी रिव्यु की परिधि सिमित है एवं इस न्यायालय द्वारा पारित रिव्युधीन निर्णय अपने आपमें स्पष्ट है, ऐसेमें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नाधीन निर्णय दिनांक 29/01/2019 में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होता है | अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर रिव्यु अधीन निर्णय दिनांक 29/01/2019 यथावत रखते हुये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर ख़ारिज किया जाता है | प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो | निर्णय आज दिनांक 01/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |	